कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:–कार्यालय–आदेश:–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः– शिविरा–माध्य/संस्था/ सी–2/इति–वाणि/इतिहास/ स्थानान्तरण/ 2020–21 के तहत सुमन शर्मा व्याख्याता इतिहास का स्थानांतरण राउमावि, रानोली–टोंक से राउमावि, काकलवार–टोंक किया गया। सुमन शर्मा ने अपने स्थानांतरण के विरूद्व माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 562/2021 सुमन शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की। माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करें और प्रत्यर्थी विभाग अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग की स्थानांतरण नीति एवं विभागीय दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन विधिनुसार एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के स्पाइनल कोड तथा आर्थराइटिस से ग्रसित होने, वृद्ध सास–ससुर होने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. राउमावि गागरडू, जयपुर 2.राउमावि, तूँगा, जयपुर 3. राउमावि, हनुतिया बुजुर्ग, टोंक 4. राउमावि, मीठडी, नागौर 5.राउमावि, परबतसर, नागौर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण टोंक जिले में ही किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। अपीलार्थी द्वारा चाहे गये स्थानों में अन्य कार्मिकों के कार्यरत होने के कारण पद रिक्त नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/अभ्यावेदन/सुमन शर्मा/को.के/20–21 दिनांकः–18.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर